न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर०ए०एस०)

अपील संख्या :– 68/2017 (223 आर०टी०एक्ट०)
आरसीएमएस संख्या :– 2017/00268

उनवान

कप्तान सिंह पुत्र भगवन्त जाति बघेला उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम खिरक मजरा निधेरा खुर्द तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

..................अपीलाण्ट

बनाम

1. विशम्बर पुत्र भगवन्त जाति बघेला निवासी ग्राम खिरक मजरा निधैरा खुर्द तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

.... वादी/ रैस्पोडेण्ट

2. सुन्दर सिंह } पुत्र गण रामजीलाल
3. महेन्द्र सिंह }
4. तेज सिंह }
5. गुड्डी पुत्री रामजीलाल
6. रामकली वेवा लोटन
7. सुरेश पुत्र लोटन
8. रेशो पुत्री लोटन
9. मुन्नी पुत्री लोटन
10. सन्तो देवी वेवा पूरन
11. वेबी पुत्री पूरन
12. मंगल सिंह पुत्र पूरन
13. मुकेश पुत्र पूरन
14. राकेश पुत्र पूरन
15. उषा पुत्री पूरन (फौत)
16. कम्पूरी पत्नी सोनपाल
17. लज्जाराम पत्नी सोनपाल
18. ज्ञान सिंह पुत्र सोनपाल
19. रामनिवास पुत्र सोनपाल

(2 से 19 तक) समस्त जाति गडरिया निवासी ग्राम खिरक मजरा निधेरा खुर्द तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

.... असल रैस्पोडेण्ट

20. एसबीवीजे शाखा धौलपुर जरिये शाखा प्रबंधक।
21. एसबीआई शाखा धौलपुर जरिये शाखा प्रबंधक।
22. एसबीवीजे शाखा बरैठा जरिये शाखा प्रबंधक।
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सैपऊ।

.... तरतीवी रैसपोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 13.07.2017 प्रकरण संख्या 93/15 उनवान विशम्भर बनाम कप्तान सिंह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सैपऊ।

अभिभाषकगण :–

1. श्री हरी सिंह बघेला अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित ।

दिनांक :–25.01.2022

निर्णय

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, सैपऊ के निर्णय दिनांक 13.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 संख्या 01 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट व शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम सुखवारा तहसील सैपऊ में उभयपक्षकारान मुताबिक राजस्व रिकार्ड अपने अपने हिस्से पर सहकाश्तकार के रूप में काबिज काश्त हैं। विवादित आराजी का अभी बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन नहीं हुआ है। अतः उभयपक्षकारान को सम्मिलित काश्त करने में परेशानी हो रही है एवं आये दिन फसल को लेकर झगडा फसाद हो जाता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई दिनांक 11.06.2016 को प्रारम्भिक डिक्री करते हुये, तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। जिस पर तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाये गये एवं उक्त विभाजन प्रस्तावो के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.2017 से प्रकरण में अन्तिम डिक्री पारित कर दी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुये, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी को बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन नहीं किया है। रैस्पो0 संख्या 01 के हिस्से में रकवा 2–13 दिया गया है जबकि अपीलाण्ट के कुर्रे में 1–16 रकवा दिया गया है। जिसमें 0–17 विस्वा भूमि अपीलाण्ट की अपेक्षा रैस्पो0 संख्या 01 को अधिक दी गई जो मीट्स एण्ड बाउण्ड के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में कई त्रुटियॉं की गई हैं। जैसे ग्राम निधेरा खुर्द की भूमि में प्रत्यर्थी संख्या 01 को खसरा नम्बर 803 रकवा 1–04, जो अपीलाण्ट के कब्जे काश्त की आराजी रही है को साजिसन रैस्पो0 संख्या 01 के कुर्रे में दी गयी है एवं उक्त कुर्रे में कुर्रा संख्या 01 व 02 दोनों ही कप्तान पुत्र भगवन्त नाम से अंकित किये गये हैं। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में कुरा संख्या 03 मोहनदेई पत्नी भगवन्त के नाम से निर्मित किया गया है उक्त मोहनदेई पुत्री भगवन्त वर्तमान वाद में ना तो पक्षकार रही है एवं ना ही आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के आधीन प्रकरण में पक्षकार बनी और ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें पक्षकार बनाया गया है। बाबजूद इसके अवैध रूप से उनको कुर्रा में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश राजस्व कैम्प के दौरान पारित किया है।

जबकि राजस्व लोक अदालत में निर्णय उभयपक्षकारान की सहमति से ही किये जा सकते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में उभयपक्षकारान की कोई सहमति नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कुर्रे प्रस्तावो पर अपीलाण्ट को ना तो सुनवाई का अवसर दिया एवं ना ही आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुये, पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावें।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। हस्तगत अपील में अपीलाण्ट का प्रमुखता से यह कथन रहा है कि विभाजन प्रस्ताव उनकी उपस्थिति में नहीं बनाये गये हैं एवं विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न विभाजन प्रस्ताव एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.2017 की आदेशिका पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर अंकित हैं। इसके अतिरिक्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12.07.2017 पर नायब तहसीलदार, पक्षकारान् (अपीलाण्ट सहित) मौके पर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर अंकित है एवं साथ ही प्रत्येक खसरा नम्बर पर लगान फलावट, नजरी नक्शा आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध हैं। अतः कुर्रे नायब तहसीलदार की उपस्थिति में विभाजन के नियमों अनुसार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी का बॅटवारा करते हुए बनाये हैं। उक्त विभाजन प्रस्तावो पर स्पष्ट अंकित है कि कुर्रे प्रस्ताव तैयार करते समय उभयपक्षकारानो को मौके पर बुलाया गया एवं समस्त पक्षकारो की आपसी सहमति से विभाजन प्रस्ताव तैयार कराये गये। अपीलाण्ट/प्रतिवादी द्वारा उक्त तथ्य के गलत होने, के आक्षेप की पुष्टि में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 13.07.2017 में पक्षकारों की मौजूदगी एवं विभाजन प्रस्तावों बाबत् सहमति अंकित है, इस तथ्य को जब तक गलत नही माना जा सकता, जब तक इन्हें किसी दस्तावेजी साक्ष्य से, गलत सिद्ध नही कर देते। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सैपऊ के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2017 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 25.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25.01.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 , रूल 6–7, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)

अज अदालत **भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर मुकाम धौलपुर**
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)
<u>प्रकरण संख्याः– अपील संख्या–68/2017 (223 आर.टी.एक्ट.)</u>

कप्तानसिंह पुत्र भगवन्त जाति बघेला उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम खिरक मजरा निधेरा खुर्द तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर।

..............अपीलांट।

बनाम

1. विशम्भर पुत्र भगवन्त जाति बघेला निवासी ग्राम खिरक मजरा निधेरा खुर्द तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर।

..............वादी/रेस्पोडेंट।

2. सुन्दरसिंह
3. महेन्द्र सिंह
4. तेजसिंह
   } पुत्र गण रामजीलाल
5. गुड्डी पुत्री रामजीलाल
6. रामकली वेवा लोटन
7. सुरेश पुत्र लोटन
8. रेशो पुत्री लोटन
9. मुन्नी पुत्री लोटन
10. सन्तो देवी वेवा पूरन
11. बेबी पुत्री पूरन
12. मंगल सिंह पुत्र पूरन
13. मुकेश पुत्र पूरन
14. राकेश पुत्र पूरन
15. उषा पुत्री पूरन (फौत)
16. कम्पूरी पत्नी सोनपाल
17. लज्जाराम पत्नी सोनपाल
18. ज्ञानसिंह पुत्र सोनपाल
19. रामनिवास पुत्र सोनपाल

} समस्त जाति गडरिया निवासी ग्राम खिरक मजरा निधेरा खुर्द तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर।

.............असल रेस्पोडेंट।

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ दिनांक 13.07.2017 प्रकरण संख्या 93/2015 उनवान विशम्भर बनाम कप्तानसिंह।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांट अभिभाषक श्री हरी सिंह बघेला अभिभाषक अपीलांट मिनजानिब मुदई व रेस्पोडेंट अभिभाषक अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि **अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,सैंपऊ के निर्णय व डिक्री दिनांक** 13.07.2017 **यथावत रखे जाते है।**

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर